



2026:AHC:22770

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 1482, वर्ष 2026

श्री प्रकाश मिश्रा एवं 34 अन्य

.....याचीगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....प्रतिवादी

याची हेतु अधिवक्ता : आरती श्रीवास्तव, कारेदीन

प्रतिवादी हेतु अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता संख्या 5, 6, 9, 10, 13, 22, 27, 31 और 32 की ओर से इस स्वतंत्रता के साथ याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी है कि वे क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले न्यायालय के समक्ष याचिका दायर कर सकें।

2. याचिकाकर्ता संख्या 5, 6, 9, 10, 13, 22, 27, 31 और 32 के संबंध में यह याचिका उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ खारिज की जाती है।

3. शेष याचिकाकर्ताओं की विद्वान अधिवक्ता सुश्री आरती श्रीवास्तव और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार को सुना गया।

4. वर्तमान याचिका में प्रतिवादियों को यह निर्देश देने की प्रार्थना की गई है कि वे शेष याचिकाकर्ताओं को वरिष्ठ लेखा परीक्षक के पद का वेतन भुगतान करें।

5. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि याचिकाकर्ताओं के दावे का न्यायनिर्णयन प्रथम दृष्टया प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा किया जाना आवश्यक है।

6. अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करते हुए, याचिका को इस निर्देश के साथ निस्तारित किया जा रहा है कि याचिकाकर्ता प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत प्रत्यावेदन प्रस्तुत करें। उक्त प्रतिवादी, प्रत्यावेदन प्राप्त होने पर, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से चार माह की अवधि के भीतर, इस संबंध में पात्रता और उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए विधि के अनुसार सख्ती से याचिकाकर्ताओं के दावे पर विचार करेंगे।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3 फरवरी, 2026

एन.एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"